

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

फौज.प्र.क. : 741/2014

संस्थित दि: 20/08/14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

**विरुद्ध**

1. रविकुमार पिता मदनलाल, उम्र 20 साल, जाति नाई,  
साकिन बंजरीटोला थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सागर पिता कृष्णकुमार मिश्रा, उम्र 24 साल, जाति ब्राम्हण,  
साकिन भौरगड़ थाना रामपायली, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. राकेश पिता देवनाथ यादव, उम्र 24 साल, जाति अहीर,  
साकिन बंजरीटोला थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. राजेश पिता केदारनाथ, उम्र 32 साल, जाति कलार,  
साकिन बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. अनीशखान पिता जमीरखान, उम्र 24 साल, जाति मुसलमान,  
साकिन बिरसा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

**—:: निर्णय ::—**

**(आज दिनांक 20/08/2014 को घोषित किया गया)**

(01) आरोपीगण पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी रविकुमार दिनांक 15/07/14 को समय 16:10 बजे, ग्राम मरारीटोला नगरपालिका गेट के पास मेन रोड, थाना बिरसा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में आई.बी. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 3120/—रुपये एवं आरोपी अनीशखान बी.पी. के 18 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 2160/—रुपये व आरोपी राकेश 48 क्वाटर गोवा की अंग्रेजी शराब कीमती 3360/—रुपये तथा आरोपी राजेश आर.एस. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 3600/—रुपये व आरोपी सागर 18 नग बियर बास्को कीमती 2160/—रुपये की शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाये गये।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रवीण कुमरे

उपनिरीक्षक थाना बिरसा को दिनांक 15.07.2014 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बुलेरो वाहन क्रमांक एम.पी.20/बी.ए.2051 में कुछ लोग शराब रखकर सालेटेकरी की ओर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप और राहगीर पंचाग परसराम और लोचनसिंह को सूचना से अवगत कराया और बुलेरो वाहन को रोका और जांच करने पर रविकुमार की शीट के नीचे कार्टून में अंग्रेजी शराब के 24 क्वाटर, सागर की शीट के नीचे चेक करने पर वास्को बियर 18 नग, राकेश की शीट के नीचे एक कार्टून में अंग्रेजी शराब के 48 क्वाटर वाहन की पीछे की शीट पर राजेश की शीट के नीचे एक कार्टून में अंग्रेजी शराब के 24 क्वाटर, अनीशखान की शीट के नीचे एक कार्टून में अंग्रेजी शराब के 18 क्वाटर होना पाया था। आरोपीगण से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपीगण ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगण से उक्त शराब एवं बुलेरो वाहन क्रमांक एम.पी.20/बी.ए.2051 को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपीगण को गिरफ्तार कर, आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. 97/14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी रविकुमार ने दिनांक 15/07/14 को समय 16:10 बजे, ग्राम मरारीटोला नगरपालिका गेट के पास मेन रोड, थाना बिरसा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में आई.बी. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब, कीमती 3120/-रुपये एवं आरोपी अनीशखान बी.पी. के 18 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 2160/-रुपये व आरोपी राकेश 48 क्वाटर गोवा की अंग्रेजी शराब कीमती 3360/-रुपये एवं आरोपी राजेश आर.एस. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब कीमती 3600/-रुपये, व आरोपी सागर 18 नग बियर वास्को कीमती 2160/-रुपये अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाये गये ?

—: सकारण निष्कर्ष :-

(05) आरोपीगण को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(06) आरोपीगण द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(08) आरोपी रविकुमार, सागर, राकेश, राजेश, अनीशखान को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 1500/— (एक हजार पांच सौ) रुपये, 1200/— (एक हजार दो सौ) रुपये, 2800/— (दो हजार आठ सौ) रुपये, 1500/— (एक हजार पांच सौ) रुपये, 1200/— (एक हजार दो सौ) रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है ।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीगण को एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति आई.बी. के 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब, बी.पी. के 18 क्वाटर अंग्रेजी शराब, 48 क्वाटर गोवा की अंग्रेजी शराब, 24 क्वाटर अंग्रेजी शराब एवं 18 नग बियर बास्को शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे तथा वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.20/बी.ए.2051 सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट